रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1060] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2007/भाद्र 7, 1929
No. 1060] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2007/BHADRA 7, 1929

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2007

**का.आ. 1481(अ).**—यह कि, दीनदार अंजुमन के पाकिस्तान से सम्पर्क हैं और वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं तथा जिनसे देश के धर्म निरपेक्ष ताने बाने के छिन्न-भिन्न होने तथा शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना है;

और यह कि, केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 373(अ) द्वारा दीनदार अंजुमन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था। दीनदार अंजुमन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में न्याय निर्णयन के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 27 अक्तूबर, 2001 के आदेश के तहत प्रतिबंध को सही ठहराया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि, दीनदार अंजुमन उन कार्यों को करता रहा जिनके कारण उस पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था, दीनदार अंजुमन पर, अधिसूचना सं. का.आ. 479(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2003 के तहत पुन:प्रतिबंध लगा दिया गया। दीनदार अंजुमन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में न्याय निर्णयन के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 2003 के आदेश के तहत प्रतिबंध को सही ठहराया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दीनदार अंजुमन उन कार्यों को करता रहा जिनके कारण उस पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था, दीनदार अंजुमन पर अधिसूचना सं. का.आ. 672(अ), दिनांक 17 मई, 2005 के तहत पुन:प्रतिबंध लगा दिया गया। दीनदार अंजुमन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में न्याय निर्णयन के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण का गठन किया गया था और न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के आदेश के तहत प्रतिबंध को सही ठहराया;

और यह कि, केन्द्र सरकार का यह मत है कि :-

(i) मई से जुलाई, 2000 के दौरान दीनदार अंजुमन ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में चर्च परिसरों तथा अन्य जगहों पर बम विस्फोट किए;

(ii) उक्त संगठन आपत्तिजनक ईसाई विरोधी साहित्य तथा पैम्पलेट बांटने तथा जासूसी गतिविधियों में लिप्त था,

(iii) दीनदार अंजुमन के पाकिस्तान में मर्दान में संपर्क हैं तथा यह भारत में असंतुष्ट मुस्लिम युवाओं को लेकर एक जेहाद शुरू करने के लिए आंतकवादी संगठन बना रहा है जिसका उद्देश्य उपमहाद्वीप का पूर्णत: इस्लामीकरण करना है;

(iv) उक्त संगठन ने विशेषकर ईसाई तथा हिन्दू समुदाय के साथ-साथ अन्य समुदायों के बीच घृणा, शक तथा दुर्भावना पैदा करके गड़बड़ी करने की योजना बनाई है;

(v) संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सरकार को अपमानित करने तथा आंतरिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से ईसाई संस्थानों पर हमला करने के निदेश दिए;

(vi) संगठन की रेलवे, दूरसंचार तंत्र, विद्युत ग्रिड, तेल शोधक ईकाईयों तथा रक्षा प्रतिष्ठानों जैसे आधारभूत प्रतिष्ठानों पर हमला करने की योजना थी;

और यह कि, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि दीनदार अंजुमन के कार्यकर्ता अभी भी उन्हीं साम्प्रदायिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं जिनके कारण संगठन पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था। केन्द्र सरकार का यह भी मत हैं कि, दीनदार अंजुमन की गतिविधियां शांन्ति, साम्प्रदायिक सद्भाव, आंतरिक सुरक्षा और भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए हानिकारक हैं और यह एक विधि-विरुद्ध संगम है;

अत:, अब, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दीनदार अंजुमन को एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है;

और यह कि, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि दीनदार अंजुमन की विधि विरुद्ध गतिविधियों को तत्काल रोका न गया तो इसको निम्नलिखित कार्य करने का मौका मिल जाएगा :–

(i) सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने और देश की धर्म निरपेक्ष छवि को खराब करने के उद्देश्य से ईसाईयों तथा अन्य समुदायों के बीच तनाव पैदा करना;

(ii) स्वयं को पुन: संगठित करना और महत्वपूर्ण संस्थानों के विध्वंस में संलिप्त होना;

और यह कि, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि दीनदार अंजुमन की ऊपर बताई गई गतिविधियों को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, केन्द्र सरकार सन्दर्भित अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए किसी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 14017/14/2006–एन.आई.–III]

विपिन सक्सेना, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS
## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2007

**S.O. 1481 (E)**:—Whereas the Deendar Anjuman is having links with Pakistan, and is indulging in activities which are prejudicial to the security of the country, having the potential to disturb peace and communal harmony and to disrupt the secular fabric of the country.

And whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared Deendar Anjuman to be an unlawful association *vide* notification number S.O. 373 (E) dated the 28th April, 2001. The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as unlawful association and the Tribunal upheld the ban *vide* its Order dated the 27th October, 2001. Deendar Anjuman continued to be indulged in activities for which it was banned earlier, a fresh ban was imposed on Deendar Anjuman *vide* notification No. S.O. 479 (E) dated the 26th April, 2003. The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as unlawful association and the ban was upheld by the Tribunal *vide* its Order dated the 23rd October, 2003. As Deendar Anjuman continued to be indulged in activities for which it was banned on earlier occasions, a fresh ban was imposed on Deendar Anjuman *vide* notification No. S.O. 672 (E) dated the 17th May, 2005. The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Deendar Anjuman as unlawful association and the ban was upheld by the Tribunal *vide* its order dated the 14th November, 2005;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that :

(i) during May to July, 2000, the Deendar Anjuman engineered bomb explosions in Church premises and other places in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Goa.

(ii) the said organization was engaged in distribution of objectionable anti-Christian literature and pamphlets, and in espionage activities;

(iii) the said organization has links at Mardan in Pakistan and has been organizing bands of disgruntled Muslim youths in India into a militant outfit for launching Jehad with the avowed objective of total Islamisation of the sub-continent;

(iv) the said organization planned to create disturbances, particularly by promoting hatred and creating suspicion and ill-will among the Christians and Hindus as well as among other communities;

(v) the said organization had directed its activists to attack Christian institutions with the objective of embarrassing the Government, particularly in the international community and weakening it internally; and

(vi) the said organization had plans to target major infrastructural installation including railways, telecom network, electricity grids, oil refineries and defence installations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the activists of Deendar Anjuman are still indulging themselves in the communal and anti-national activities for the reasons that the organization was banned earlier. The Central Government is also of the opinion that the activities of Deendar Anjuman are detrimental to the peace, communal harmony, internal security and maintenance of secular fabric of the Indian Society, and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares Deendar Anjuman to be an unlawful association;

And, whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of Deendar Anjuman are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to:—

(i) create tension among the Christians and other communities with a view to disrupting the social fabric and tarnish the secular fabric credential of the country;

(ii) re-organize itself and indulge in sabotage of vital installations.

And, whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of Deendar Anjuman as mentioned above, it is necessary to declare it as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/14/2006-NI-III]

VIPIN SAXENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.